

(Adityapur Industrial Area Planning Standards and Building Bye-Laws 1990
Amendment 2006) के तहत भवन प्लान की स्वीकृति)

"प्रौद्योगिकी"

प्रेषित

पत्र सं ३६० /एडीए

सर्वश्री कौशल कंचन कन्सट्रक्शन प्रा० लि०
क्यू रोड, विष्टुपुर,
जमशेदपुर।

४८५
५१५
५१५

आदित्यपुर, दिनांक ११/०२/०९

१५५
५१५

विषय : नियंत्रित क्षेत्र के अन्तर्गत नया भवन निर्माण हेतु अनुमति।

मौजा दिन्दली, खाता नं० नया-१४/पुराना-०९ सर्वे प्लाट नं० नया - 1329, 1330, 1434/पुराना-१११६, १११४, १११५, १११८, १११९, ११२२ रकवा 1.98 एकड़ भूमि पर नया मकान निर्माण के लिए दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 11.01.2007 के साथ समर्पित भवन प्लान निम्नलिखित शर्तों पर स्वीकृत किया जाता है :-

1. भवन प्लान में Basement + 5 Floor जो Residential है। इसमें तीने ब्लॉक है जिसका नाम निम्न प्रकार है - ब्लॉक 'ए', ब्लॉक 'बी', ब्लॉक 'सी'।
2. स्वीकृत प्लान के अनुसार ही निर्माण कार्य करना है इसमें किसी प्रकार का अतिरिक्त कार्य बगैर पूर्व अनुमति प्राप्त किए नहीं करना होगा।
3. प्रस्तावित भवन से मुख्य पथ तक पहुँचने के लिए 20 (बीस) फीट चौड़ा रास्ता का प्रावधान रखना होगा।
4. प्रस्तावित प्रत्येक भवन के आगे 7.00 मीटर, पीछे 7.00 मीटर तथा चारों तरफ 5.00 मीटर जगह फायर फाईटिंग की गाड़ी जाने हेतु जगह छोड़ना होगा। ग्राउंड कवरेज 30.80 प्रतिशत से अधिक न हो। एफ०ए०आर०-२.० से अधिक नहीं होना चाहिए। भवन की ऊँचाई 16 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
5. प्राधिकार के कोई भी कर्मचारी/पदार्थ को किसी भी समय निर्माण निरीक्षण के लिए निर्माण स्थल पर जाने का अधिकार होगा।
6. प्रस्तावित भवन में खिड़की एवं पानी निकासी तथा नाली की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा तथा अधिसूचित क्षेत्र समिति के निर्देशानुसार प्रावधान रखन होगा तथा main sever से conection बिल्डर्स को ही करना है। आवासीय कॉलोनी में 20 फीट चौड़े पथ एवं दोनों तरफ स्ट्रीट लाईट एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था करनी है। भवन में लिफ्ट एवं अग्निशामक की व्यवस्था बिल्डर्स को करनी होगी।
7. आदित्यपुर-कांडा मुख्य पथ के बीच से 105 फीट छोड़कर भवन का निर्माण करना होगा।
8. किसी तृतीय पक्ष के साथ किसी प्रकार का विवाद का निष्पादन संबंधित व्यक्ति स्वयं करेंगे। इसकी जिम्मेवारी प्राधिकार की नहीं होगी।
9. प्राधिकार को आवश्यकता होने पर प्रस्तावित भूमि तथा मकान का उचित मुआवजा भू० अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भुगतान कर इसे अर्जन करने का अधिकार होगा।

ज्ञान

10. बिल्डर्स द्वारा ही पानी आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्था करनी है। डीप बोरिंग नहीं कर निम्न प्रकार की व्यवस्था उनके द्वारा की जायेगी। इनके द्वारा इस संबंध में कोई Deviation नहीं की जायेगी।

- a. Shallow boring
- b. Rain water harvesting System
- c. Water supply through W.S.S.D.

उपरोक्त तथ्यों का अनुपालन नहीं करने पर अनुमति किसी भी समय रद्द कर दिया जायेगा और संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध BRUL Act के अन्तर्गत धारा 2/1 के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति का दावा मान्य नहीं होगा।



नियंत्रक

